संख्या-6 /2024/I/476360/2024 /003-71-2099-1226-2020

प्रेषक,

देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 19 जनवरी, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में एडवांस डायबिटीक सेन्टर की स्थापना के लिये चिकित्सीय उपकरण एवं संस्थान के विभिन्न विभागों के लिये चिकित्सीय उपकरणों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट(2023-24)/1534, दिनांक 02.11.2023 एवं पत्र संख्या-पी0जी0आई0/एम0एम0/बजट (2023-24)/1535, दिनांक 02.11.2023 के क्रम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2023-24/634, दिनांक 14.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0, लखनऊ में एडवांस डायबिटीक सेन्टर की स्थापना के लिये चिकित्सीय उपकरण एवं संस्थान के विभिन्न विभागों के लिये चिकित्सीय उपकरणों के क्रय हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 में एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में एडवांस डायबिटीक सेन्टर की स्थापना के लिये चिकित्सीय उपकरण एवं संस्थान के विभिन्न विभागों के लिये चिकित्सीय उपकरणों के क्रय हेतु संलग्न बी0एम0-9 प्रपत्र संख्या-06/71-2099-1226-2020, दिनांक 18.01.2024 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 4930.09 लाख (रूपये उनचास करोड तीस लाख नौ हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण क्रय किये जायें। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों के निर्धारण के साथ सम्बन्धित फर्म की शुचिता व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी निदेशक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ की होगी।
2. उपकरणों का क्रय अनुमोदित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही किया जायेगा। वास्तविक आवश्यकता /उपयोगिता के आधार पर ही उपकरणों के क्रय की कार्यवाही विश्वविद्यालय स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3. विश्वविद्यालय हेतु उपकरण/संयंत्र मद में प्राविधानित सीमा तक ही उपकरणों का क्रय किया जायेगा एवं किसी भी परिस्थिति में प्राविधानित धनराशि से अधिक का आहरण/व्यय नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये। स्वीकृत धनराशि बैंक/डाकघर आदि में किसी भी दशा में नहीं रखा जायेगा।
5. वित्तीय वर्ष 2023-24 में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 तथा यथासंशोधित शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर, 2023 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों के प्रतिबन्धों/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व संस्थान के वित्त नियंत्रक का होगा।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों तथा समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यशकता एवं नियमानुसार किया जायेगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/वित्त अधिकारी/सबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
8. दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्ताि्वत उपकरण हेतु किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध प्रतिष्ठित कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specification) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
9. वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट/आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट,/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित समय-समय पर निर्गत सुसंगत अद्यतन शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना निदेशक/वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी। निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय।
13. उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर वरीयता के अनुसार किया जायेगा। किसी भी स्थिति में स्वीकृत धनराशि से अधिक धनराशि का व्यय नहीं किया जायेगा।
14. वर्तमान वित्तीय वर्ष में उक्त निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (क्रयादेश/उपकरण स्थ्ापना की सूचना सहित) यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
15. प्रोप्राइटरी श्रेणी के उपकरण के शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसिफिकेशन के अंतर से लागत में अन्तनर आना स्वाभाविक है। अतः इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तींय नियमों के आधार पर सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
17. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 49,30,09,000 (रुपये उनचास करोड़ तीस लाख नौ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050300 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

4 यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231 /2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,

(देवेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा)
विशेष सचिव।

संख्या-6 /2024/।/476360/2024 /003-71-2099-1226-2020, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।